<u>उच्च न्यायालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़</u>

<u>एकल पीठ</u>

<u>विविध अपील संख्या 341, वर्ष 2006</u>

अपीलार्थी/नीलामी क्रेता:

गौतम चोपड़ा, आत्मज रतन लाल, नीलामी क्रेता चोपड़ा, निवासी धमतरी, तहसील एवं जिला धमतरी (छत्तीसगढ़)।

<u>विरुद्ध</u>

प्रत्यर्थी/आज्ञप्तिधारी:

1. भारतीय स्टेट बैंक, अपने शाखा प्रबंधक के माध्यम से, धमतरी, तहसील एवं जिला धमतरी (छत्तीसगढ़)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रत्यर्थीगण/निर्णीत ऋणी:

2. राज सेठिया, पति इंदर चंद सेठिया, निवासी सदर बाजार, धमतरी, तहसील एवं जिला धमतरी (छत्तीसगढ़)।

3. प्रकाश चंद जैन, आत्मज पांचूलाल जैन, निवासी सदर बाजार, धमतरी, तहसील एवं जिला धमतरी (छत्तीसगढ़)।

4. इंदर चंद सेठिया, आत्मज चंपालाल, निवासी सदर बाजार, धमतरी, तहसील एवं जिला धमतरी (छत्तीसगढ़)।

<u>व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश XLIII (43) नियम 1 (ञ) के तहत अपील का</u>

<u>ज्ञापन</u>

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

विविध अपील क्रमांक 341/2006

दिनांक 10.3.2006

श्री एच.एस. पटेल, अपीलार्थी के अधिवक्ता।

ग्राह्यता पर प्रकरण सुना गया।

व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 43 नियम 1(J) के तहत दायर यह अपील, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, धमतरी द्वारा पारित आदेश दिनांक 13/01/2006 के विरुद्ध निर्देशित की गई है, जिसके द्वारा निर्णीत ऋणी/प्रत्यर्थी क्रमांक 2 से 4 द्वारा नीलामी बिक्री को अपास्त करने हेतु व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 नियम 89 के तहत दायर आवेदन को स्वीकार कर लिया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी एक नीलामी क्रेता है जिसने व्यवहार वाद क्र. 17-ए/1992 की निष्पादन कार्यवाही में न्यायालय द्वारा संचालित नीलामी कार्यवाही में भाग लिया और नीलामी बिक्री में संपत्ति खरीदी। नीलामी बिक्री को अपास्त करने के लिए निर्णीत ऋणी ने व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 नियम 89 के तहत एक आवेदन दायर किया। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने आक्षेपित आदेश के माध्यम से आवेदन स्वीकार कर लिया और बिक्री को अपास्त कर दिया।

स्वीकृत रूप से, आवेदन 60 दिनों के भीतर दायर किया गया है और निर्णीत ऋणी द्वारा जमा की जाने वाली आवश्यक राशि भी उसी अवधि के भीतर जमा कर दी गई है।

अपीलार्थी की एकमात्र शिकायत यह है कि विक्रय के समय आवेदन दायर नहीं किया गया था। इसलिए, वर्तमान आवेदन पर नीलामी बिक्री अपास्त किए जाने योग्य नहीं थी। व्यवहार प्रक्रिया संहिता का आदेश 21 नियम 89, बिक्री के समय या उसके बाद क्रय राशि का 5% और डिक्री धारक को संदेय राशि जमा करने के साथ आवेदन दायर करने का प्रावधान करता है। व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 नियम 92 के तहत, राशि जमा करने का समय 60 दिन है या जैसा कि न्यायालय द्वारा बढ़ाया गया हो, जिसका अर्थ है कि आवेदन दायर करने की समय सीमा 60 दिन है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

यहाँ वर्तमान मामले में, विहित अवधि के भीतर आवश्यक राशि जमा कर दी गई है और बिक्री को अपास्त करने का आवेदन दायर किया गया है, इसलिए, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने उचित रीति से आवेदन स्वीकार किया और बिक्री को अपास्त कर दिया।

आक्षेपित आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, अतः अपील संक्षिप्त रूप से खारिज की जाती है। परिणामस्वरूप एम.(सी.)पी क्र. 06/2006 और अंतर्वर्ती आवेदन क्र. 958/2006 निराकृत की जाती है।

सही/-

वी.के. श्रीवास्तव
न्यायाधीश

केवीआर

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur